(b) whether it is a fact that Government have received any representation from the Institute of Chartered Accountants of India in the matter; if so, what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA) (a) No, Sir. The case is still under the investigation by the Police.

(b) Yes, Sir. The case is still under the investigation and only after it has been completed, the real circumstances concerning this incident would be known. BCCL is ully co-operating with the Auditors.

Power Projects of Andhra Pradesh

2429. SHRIG. SWAMY NAIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

- (a) the number and names of power projects reports sent by the Government of Andhra Pradesh which are still pending with the Central Government for approval; and
- (b) by when these projects are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHA-JAN): (a) The following projects have been received for approval:

(1)	Jalaput Dar P.H.	n	•	(18	MW)

- (2) Kakatiya Canal . . (15 MW) Power House
- (3) Kakatiya Feader Canal Micro Hydle . . (2 MW)
- (4) Penna Ahobilam . (20 MW)
- (5) Pochampad H.E.P. (27 MW)(6) Nagar Junasagar L.B.C. (60 MW)
- (7) Vijayawada Ext. T.P.S. (420 MW)

The first three projects are under appraisal for techno - economic clearance in the Central Electricity Authority. Penna Ahobilam is

awaiting clearance of Department of Environment from environmental angle. The other three projects are under process in the Planning Commission.

(b) The various issues involved under the proposals have to be resolved during the appraisal of the Project. No time limit is lai down for the clearance of the project proposals. Central Electricity Authority, as a statutory body, is obliged to clear only such projects which represent the best technical and economic alternatives to meet the system requirements.

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

2430 श्री कलराज मिश्र: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1982 के दैनिक "जागरण" में प्रकाशित इस ग्राशय के समाचार की ग्रोर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्रागामी महीनों में बिजली संकट की संभावनाएं हैं;
- (ख) यदि हां, तो सरकार 1982-83 के वर्ष के दौरान राज्य में बिजली की मांग ग्रौर पूर्ति में ग्रन्तर को देखते हुए क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है; ग्रौर
- (ग) क्या उक्त व्यवस्था के परिणाम-स्वरूप समुचित मात्रा में बिजली उपलब्ध की जा सकेगी?

उन्न मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विकम महाजन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में इस वर्ष विद्युत् की स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत ग्रन्छी है। तथापि, उत्तर प्रदेश में वर्तमान उत्पादन लगभग 40 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। इसकी जुलना में ग्रावश्यकता लगभग 44 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। इस प्रकार राज्य में कमी लगभग 4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। इस प्रकार श्रीतदिन (९ प्रतिक्त) है पूर्वामुमान के

अनुसार आने वाले महीनों में राज्य में ऊर्जा की मामूली कमी रहेगी। राज्य में विभिन्न ताप विद्युत् केन्द्रों को उचित गुणवत्ता वाले तथा पर्याप्त माला में कोयले की सप्लाई सुनिष्चित करने के लिये भारत सरकार सभी उपाय कर रही है। राज्य में विद्युत् की स्थिति में उस समय सुधार हो जायेगा जब खोबरा में हाल ही में चालू की गई 210 मेगावाट की यूनिट स्थिर हो जायेगी। सिगरौली में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से भी राज्य को अपना भाग मिल रहा है।

्उत्तर प्रदेश की सापीय विजलो - ... े परियोजनाएं

2431. श्री कलराज मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

داخي حَجَجَة

- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित चार तापीय बिजली पर्योजनाम्रों के क्रियान्वयन हेतु श्रपनी मंजूरी न देने का निर्णय किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं श्रीर ऐसी परियोजनास्त्रों को मंजूरी प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या मानदण्ड ग्रपनास्ती है; श्रीर
- (ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन तथा भौगोलिक जटिलता को देखते हुये, श्रपने निर्णय पर पुनः विचार करेंगी?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विकस महाजन) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान चालू करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये थे :---

بد	· · · · · ·		मेगावाट
(1)	ग्रनपारा ''ख''	→ ·.	2×500
(2)	म्रनपारा ''ग''		3×500
(3)	दोहरीघाट		2×210
(4)	परीछा विस्तार		2×210
(5)	रोसा		2×210
(6)	जवाहरपुर (एटा)		3×210
(7)	ऊंचाहार		2×210
(8)	ऊंबाहार विस्तार		2×210
(9)	नरोरा		3×210

उपर्युक्त स्कीमों में से, अंचाहार (2×210) मेगावाट) ग्रौर ग्रनपारा "ख" (2×500 मेगावाट) तकनीकी-ग्रार्थिक द्धि से अनुमोदित कर दी गई हैं और निवेश हेतु स्वीकृत कर दी गई हैं। जहां तक रोसा स्कीम (2×210) मेगा-वाट) का संबंध है, यह तकनीकी-ग्रार्थिक म्लयांकन के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास है। जहां तक नरोरा स्कीम (3×210) मेगावाट) का संबंध है, यह उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस लौटा दी गई थी क्योंकि परमाण विद्युत् केन्द्र के पास, जिसे स्थापित किया जा रहा है, विश्वत केन्द्र स्थापित करना वांछनीय नहीं समझा गया था। शेष स्कीमें उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस लौटा दी गई हैं क्योंकि परियोजना प्रस्तावों में परिकल्पित समय सीमा में उनकी तकनीकी-ग्रार्थिक भ्यवहार्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

ताप विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है जैसे क्षेत्र में विद्युत की भावश्यकता.